संख्या 4649/ II–2007–03(11)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई विभाग   देहरादून, दिनांक 27 दिसम्बर 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित 3 योजनायें रू0 127.68 लाख लागत के आगणनों की टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 123.84 लाख (रूपये एक करोड़ तेईस लाख चौरासी हजार मात्र) की लागत के आगणनो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :–

1– उक्त योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इन योजना के आगणन पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2– उक्त कार्य के निष्पादन में वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर विषयक नियम, मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेश एवं शासन द्वारा इस विषय में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन किया जाय।

3– स्वीकृत की जा रही योजना का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाय।

4– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।

5– आगणन में उल्लिखित दरें जो शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी होंगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

..........2

8– एक मुस्त प्राविधान पर कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

9– कार्य करने से पूर्व तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर सिंचाई विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों से अवश्य करा लें, निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

11– निर्माण सामग्री प्रयोग में लेने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग कराकर उपयुक्त पायी जाने पर ही सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

12– यह सुनिश्चित किया जाय कि योजना का लाभ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को प्राप्त हो।

13– योजनाओं पर व्यय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से प्लान आउटले के अन्तर्गत किया जायेगा ।

2–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 711/XXVII(2)/2007 दिनांक 24.12.07 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नः यथोक्त

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

संख्या :– 4649/ II–2007–03(11)/05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून
5. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

संलग्नः यथोक्त

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या 4649 / II–2007–03(11) / 05, दि0 27-12-07 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र. स.	योजना का नाम	योजना की मूल लागत	टी0ए0सी के परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत
	अनुसूचित जनजाति उपयोजना (बाढ़ सुरक्षा योजना)		
1	जिला देहरादून के विकासनगर वि0ख0 के अन्तर्गत जनजाति ग्राम आदूवाला की जामुनवाला नाले से बाढ़ सुरक्षा योजना	37.76	36.50
2	जिला देहरादून के विकासनगर वि0ख0 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति ग्राम मण्डी गंगभेवा की यमुना नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना	60.91	59.35
3	जिला देहरादून के विकासनगर वि0ख0 के अन्तर्गत जनजाति ग्राम शाहपुर की काठा शाहपुर नाले से बाढ़ सुरक्षा योजना	29.01	27.99
	योग	**127.68**	**123.84**

(रूपये एक करोड़ तेईस लाख चौरासी हजार)

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव